

माननीय न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता और बख्शीश कौर के समक्ष, जे. जे.

संजीव कुमार और एक अन्य -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और एक अन्य -उत्तरदाता

C.W.P. No. 3046 of 1999

29 मई, 2001

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद— राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951-धारा 29-ऋण के भुगतान में चूक-औद्योगिक इकाई की नीलामी-निगम अपने बकाया ऋण की वसूली के लिए बंधक आवासीय संपत्ति की बिक्री के लिए नोटिस दे रहा है-क्या निगम को आवासीय घर का कब्जा लेने का अधिकार है-अभिनिर्णीत, हाँ-निगम को ऋण की राशि की वसूली के लिए बंधक संपत्ति को बेचने का अधिकार है।

अभिनिर्णीत किया जाता है कि संपत्ति की प्राप्ति एक बहुत व्यापक अभिव्यक्ति है। संसद ने निगम को सार्वजनिक बकाया ऋण की वसूली सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का अधिकार दिया है। चीजों की प्रकृति में, निगम के पास गिरवी या गिरवी रखी गई संपत्ति का कब्जा लेने की शक्ति है। यह इसे बेचने के लिए भी सक्षम होगा ताकि ऋणकर्ता से अपने बकाया ऋण का भुगतान किया जा सके। वर्तमान मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 का प्रावधान आकर्षित नहीं होता। डिक्री के निष्पादन में संपत्ति को कुर्क या बेचा नहीं जा रहा है। इसे याचिकाकर्ताओं द्वारा निगम के पास गिरवी रखा गया है। उन्होंने निगम को पैसा देने हैं। धन की वसूली के लिए निगम के पास इस संपत्ति को बेचने का अधिकार है। अन्यथा भी, 1951 के अधिनियम के प्रावधानों का एक प्रबल प्रभाव है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा सी. पी. सी. की धारा 60 को लागू नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 10 & 17)

मोहन जैन, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

कमल सहगल, प्रतिवादी न. 2 के लिए अधिवक्ता

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता, जे. (ओ)

(1) क्या वित्तीय निगम राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए गिरवी रखी गई संपत्ति का कब्जा ले सकता है और इसे बेच सकता है? यह संक्षिप्त प्रश्न है जो इस मामले में विचार के लिए उत्पन्न

होता है।

(2) तथ्यों पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है।

(3) याचिकाकर्ता फर्म मैसर्स मोहन आइस फैक्ट्री, बहादुरगढ़ के दो भागीदार हैं। हरियाणा वित्तीय निगम से ऋण देने का अनुरोध किया गया था। 18.79 लाख रु. की राशि स्वीकृत कि गई थी। फर्म ने 17.18 लाख रुपये की राशि निकाली थी। मार्च 1997 में याचिकाकर्ताओं ने इकाई की बिक्री के लिए फर्म ने श्री योगेंद्र धैया के साथ एक समझौता किया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कब्जा लेने के बाद खरीदार ने मशीन का एक हिस्सा हटा दिया। उन्होंने प्रतिवादी-निगम के साथ-साथ पुलिस को भी सूचित किया। इसके बाद, प्रत्यर्था-निगम ने इकाई का कब्जा ले लिया। 28 जनवरी, 1998 को इसने पुलिस स्टेशन सिटी बहादुरगढ़ में एक एफ.आई.आर. न. 26 दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता आई. पी. सी. की धारा 406 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के दोषी थे। इकाई को बिक्री के लिए रखा गया था। इसे 5 लाख रुपये में नीलाम किया गया था। फिर, याचिकाकर्ताओं को 4 फरवरी, 1999 का एक नोटिस दिया गया, जिसके द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि सदन सं। WZ/8C/26A, न्यू मोहन नगर, नई दिल्ली, जो निगम के पास गिरवी है, उसे 9 मार्च, 1999 को बेचा जाएगा। याचिकाकर्ताओं को कब्जा देने के लिए कहा गया था। इस नोटिस से व्यथित याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि निगम की कार्रवाई "अच्छी तरह से स्थापित कानून के खिलाफ है"। वे प्रार्थना करते हैं कि 4 फरवरी, 1999 को जारी किए गए विवादित नोटिस को रद्द कर दिया जाए और निगम को याचिकाकर्ता न. 2 के आवासीय घर का कब्जा लेने से रोका जाए।

(4) प्रतिवादी न. 2 की ओर से एक जवाब दावा दायर किया गया है। दूसरे प्रतिवादी के वकील श्री कमल सहगल का कहना है कि जवाब दावा पर श्री अशोक पाहवा ने हस्ताक्षर किए हैं, जो अब निगम के उप महाप्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए दावे का खंडन किया गया है। उन्होंने कहा कि निगम को गिरवी रखी गई संपत्ति पर कब्जा करने और उसे बेचने का अधिकार है। याचिकाकर्ताओं से परिसर खाली करने और कब्जा सौंपने का आह्वान करने की इसकी कार्रवाई कानून के अनुरूप है। इस प्रकार, दूसरा प्रतिवादी प्रार्थना करता है कि रिट याचिका को खारिज कर दिया जाए।

(5) याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि निगम गिरवी रखी गई संपत्ति का कब्जा नहीं ले सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से किए गए दावे का दूसरे प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री कमल सहगल ने खंडन किया है।

(6) ऊपर उल्लिखित तथ्यों की पृष्ठभूमि में ही शुरू में उठाया गया प्रश्न उत्पन्न होता है। सवाल यह है कि क्या वित्तीय निगम राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए गिरवी रखी गई संपत्ति का कब्जा ले सकता है और इसे बेच सकता है?

(7) यह अधिनियम राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना के लिए लागू किया गया था। कानून का प्राथमिक उद्देश्य उद्योग को बढ़ावा देना और सार्वजनिक ऋण को सुरक्षित करना था। इसलिए, सुविधाएं प्रदान करने और वसूली सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्ण तंत्र बनाया गया था। बकाया राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए धारा 29 को शामिल किया गया था। अन्य बातों के साथ यह प्रावधान किया गया था कि ऐसे मामले में जहां कोई व्यक्ति ऋण या अग्रिम या किसी किस्त के पुनर्भुगतान में चूक करता है, निगम को औद्योगिक इकाई का प्रबंधन और कब्जा लेने का अधिकार होगा। इसे "वित्तीय निगम को गिरवी रखी गई, कल्पित या सौंपी गई संपत्ति को प्राप्त करने" के अधिकार से लैस किया गया था।

(8) इस प्रावधान का क्या महत्व है? 'वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में 'रियलाइज' को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अर्थ दिया गया है:—

“वास्तविक बनाना; जो काल्पनिक या काल्पनिक है उसे वास्तविक में बदलना; पूरा करना; क्षमता से वास्तविकता में लाना; वास्तविक धन में बदलना; वास्तविक स्थिति के रूप में अधिग्रहण करना; एक अमूर्त अधिकार या संपत्ति को वास्तविक संपत्ति में बदलना; मूर्त संपत्ति को धन में बदलना।

(9) इस प्रकार, कब्जा करना और संपत्ति को धन में बदलना प्रावधान के तहत विचार की गई स्पष्ट शक्तियों में से एक है।

(10) संपत्ति की प्राप्ति एक बहुत व्यापक अभिव्यक्ति है। संसद ने निगम को सार्वजनिक ऋण की वसूली सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का अधिकार दिया है। चीजों की प्रकृति में, निगम के पास गिरवी रखी गई संपत्ति का कब्जा लेने की शक्ति होगी। यह इसे बेचने के लिए भी सक्षम होगा ताकि ऋणकर्ता से अपने बकाया ऋण का भुगतान किया जा सके।

(11) श्री जैन ने मुन्ना लाल गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम और एक अन्य (1) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों के निर्णय का उल्लेख किया है। इस मामले में, विचार के लिए उठाए गए प्रश्न पर पीठ ने निम्नलिखित शब्दों में ध्यान दिया:

“क्या जमानतदार के रूप में अपीलार्थी मुन्ना लाल, जिसने मेसर्स राकी इलेक्ट्रॉनिक्स, एक औद्योगिक संस्था, को दिए गए ऋण को सुरक्षित या गारंटी देने के लिए वित्तीय निगम के पक्ष में अपनी संपत्ति गिरवी रखी थी, के खिलाफ वित्तीय निगम के कहने पर राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 31 के तहत जिला न्यायाधीश के समक्ष कार्रवाई की जा सकती है?”

(12) इस प्रश्न का उत्तर देते समय, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम बनाम मेसर्स डीके इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड (2) में एक खंड पीठ द्वारा लिए गए विचार को खारिज कर दिया गया था। वर्तमान मामले में ऐसा कोई सवाल नहीं उठता है। अतः याचिकाकर्ताओं को इस निर्णय से कोई लाभ नहीं मिल सकता है।

(13) दूसरी ओर, श्री कमल सहगल ने मिस के. टी. सुलोचना नायर बनाम प्रबंध निदेशक, उड़ीसा राज्य वित्तीय निगम और अन्य (3) मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया है। निम्नलिखित टिप्पणियों पर उपयोगी रूप से भरोसा किया जा सकता है जिसमें मुन्ना लाल गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम और एक अन्य (उपरोक्त) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय की भी व्याख्या की गई है:—

“उपरोक्त प्रावधान को स्पष्ट रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वित्तीय निगम को

- (1) ए. आई. आर. 1975 इलाहाबाद 416
- (2) 1971 एएच एल. जे. 756
- (3) ए. आई. आर 1992 उड़ीसा 157

औद्योगिक उद्यम के प्रबंधन या कब्जे के साथ-साथ पट्टे या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार लेना और वित्तीय निगम को गिरवी रखी गई, कल्पित या सौंपी गई संपत्ति को प्राप्त करना का अधिकार होगा। उपरोक्त प्रावधान में यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि अधिनियम की धारा 29 के तहत अधिकार केवल निगम के साथ गिरवी रखी गई ऋणकर्ता की संपत्ति के संबंध में है। दूसरी ओर, निगम के साथ गिरवी रखी गई सभी संपत्तियां अधिनियम की धारा 29 के दायरे में आएंगी। तथापि, श्री पालित, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय के संदर्भ में जोरदार तर्क देते हैं कि गारंटर की संपत्ति अधिनियम की धारा 29 के दायरे में नहीं आ सकती है। उपरोक्त मामले में, अधिनियम की धारा 29, 31 और 32 में निहित प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 31 में निहित त्वरित उपाय मुचलके के खिलाफ नहीं बल्कि केवल उधारकर्ता के खिलाफ उपलब्ध है। उपरोक्त निष्कर्ष अधिनियम की धारा 31 और 32, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (4), को एक साथ पढ़ने पर आधारित था। लेकिन उक्त निष्कर्ष, हमारी सुविचारित राय में, अधिनियम की धारा 29 के तहत किसी कार्रवाई पर लागू नहीं होगा”।

(14) केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने भी *श्रेसियाम्मा वर्गीज बनाम केरल राज्य वित्तीय निगम और अन्य* (4) मामले में इसी तरह का विचार रखा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ से असहमती की गई।

(15) वर्तमान मामले में, गिरवी रखी गई संपत्ति याचिकाकर्ता न. 2 की है। इसे ऋण चुकाने के लिए गिरवी रखा गया था। ऋणकर्ता के चूक करने के कारण निगम को इसकी वसूली करने का अधिकार है।

(16) श्री मोहन जैन ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि निगम एकमात्र आवासीय घर पर कब्जा नहीं कर सकता है।

(17) यह प्रावधान वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं होती है। एक डिक्री के निष्पादन में संपत्ति को कुर्क या बेचा नहीं जा रहा है। इसे याचिकाकर्ताओं द्वारा निगम के पास गिरवी रखा गया है। निगम के ऋणी हैं।

(4) आकाशवाणी 1986 केरल 222

Suman Devi & others v. U.T., Administration Chandigarh 578
& others (Jawahar Lai Gupta, J.)

उसके पास धन की वसूली के लिए इस संपत्ति को बेचने का अधिकार है। अन्यथा भी, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का अधिभावी प्रभाव है। अतः याचिकाकर्ताओं द्वारा धारा 60 का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(18) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

(19) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई दलीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

(20) हालांकि, निर्णय से अलग होने से पहले, यह देखा जा सकता है कि यदि याचिकाकर्ता राशि जमा करने के इच्छुक थे तो हमने याचिकाकर्ताओं के वकील को निर्देश प्राप्त करने का अवसर दिया था। उन्होंने ऐसा करने में असमर्थता व्यक्त की है। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता निगम के बकाया ऋण का भुगतान नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं का रवैया सबसे अनुचित है। ऋण लेने के बाद, वे चुकाने को तैयार नहीं हैं। वे जितना हो सके उतना भुगतान करने को भी तैयार नहीं हैं।

(21) नतीजतन, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। इन परिस्थितियों में, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

आर.एन.आर

माननीय न्यायमूर्ति जवाहर लाई गुप्ता और एन. के. सूद के समक्ष, जे. जे.

सुमन देवी और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

यू. टी. प्रशासन चंडीगढ़ और अन्य-उत्तरदाता

C.W.P. No. 15270 of 1999

6 जुलाई, 2001

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14 & 226—चंडीगढ़ में मकानों और स्थलों और सेवाओं का अनुज्ञप्ति योजना, 1979-खंड 2 से 5 और 7-अतिक्रमणकारी-सरकारी भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण और कब्जा-याचिकाकर्ता 1979 की योजनाओं के तहत अक्सर आवश्यक आवंटन के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और विफल रहते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

करन वीर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer), बिलासपुर, यमुनानगर, हरियाणा